सफर के महीने के अंतिम बुद्धवार की नफ़्ल नमाज़ का हुक्म

[हिन्दी – Hindi – هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1435

IslamHouse.com

حكم نافلة يوم الأربعاء من آخر شهر صفر

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1435

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट

(गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

सफ़र के महीने के अंतिम बुधवार की नफ़ल नमाज़ का हुक्म

प्रश्न : हमारे देश में कुछ विद्वानों का भ्रम यह है कि इस्लाम धर्म में एक नफल नमाज़ है जो सफर महीने के अंत में बुध के दिन चाश्त के समय एक सलाम के साथ चार रकअत पढ़ी जाती है जिसमें हर रकअत के अंदर सूरतुल फातिहा, सत्तरह बार सूरतुल कौसर, पचास बार सूरतुल इख्लास, एक–एक बार मुअव्वज़तैन (यानी सूरतुल फलक़ और सूरतुन्नास) एक–एक बार पढ़े, इसी तरह हर रकअत में किया जाए और सलाम फेर दिया जाए। सलाम फेरने के बाद तीन सौ साठ बार यह आयत पढ़ें :

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

तथा तीन बार जौहरतुल कमाल (तीजानी पद्वति का एक वज़ीफा) पढ़े, तथा अंत में

﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العالمين﴾

और गरीबों को कुछ रोटी दान करे। इस आयत की विशेषता उस आपदा को दूर करना है जो सफ़र के महीने के अंतिम बुध को उतरती है। तथा उनका कहना है कि : हर वर्ष तीन लाख बीस हज़ार आपदाएं अवतरित होती हैं और ये सब की सब सफर के महीने की अंतिम बुध को उतरती हैं। इस तरह वह वर्ष का सबसे कठिन दिन होता है। अतः जो व्यक्ति इस नमाज़ को उक्त तरीक़े पर पढ़ेगा तो अल्लाह तआला उसे अपनी अनुकम्पा से उन सभी आपदाओं से सुरक्षित रखेगा जो उस दिन में उतरती हैं। तो क्या इसका यही समाधान है या नहीं ?

उत्तर : प्रश्न में उल्लिखित इस नफ़ल नमाज़ का हम कुरआन तथा हदीस से कोई आधार नहीं जानते हैं। तथा हमारे निकट यह भी प्रमाणित नहीं हैं कि इस उम्मत के पूर्वजों, और बाद के सदाचारियों में से किसी ने इस नफल को पढ़ा है। बल्कि

यह एक घृणित बिदअत (नवाचार) है। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया : "जिस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जो हमारे आदेश के अनुसार नहीं है तो वह अस्वीकृत है।" तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया : "जिस व्यक्ति ने हमारे इस (शरीअत के) मामले में कोई नई चीज़ निकाली जो उसमें से नहीं है, तो वह अस्वीकृत है।"

जिस व्यक्ति ने इस नमाज़ को और इसके साथ जो कुछ उल्लेख किया गया है उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर, या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी की ओर मन्सूब किया तो उसने बहुत बड़ा झूठ बांधा। उसके ऊपर अल्लाह की ओर से झूठ बोलनेवालों का वह दण्ड है जिसका वह योग्य है।

और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे नबी मुहम्मद, उनकी संतान और साथियों पर दया व शांति अवतरित करे।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान, शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद

''**फतावा स्थायी समिति**'' **(2/497, 498).**